ग्राहकों की
टैक्स संबंधी जानकारी
एकत्र करना

- **हम ग्राहकों की टैक्स संबंधी जानकारी किसलिए एकत्र कर रहे हैं?**

आस्ट्रेलियन सरकार ने लोगों के आर्थिक खातों की जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान के एक नए वैश्विक मानक के प्रति वचनबद्धता स्वीकार कर ली हैं। इसके लिए विश्व भर के आर्थिक संस्थानों को लोगों की टैक्स के मामले में देश के निवासी होने की जानकारी लेनी होगी।

टैक्स प्राधिकारी हर वर्ष आर्थिक संस्थानों से प्राप्त जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब लोग टैक्स की उचित राशी का भुगतान कर रहे हैं।

- **टैक्स के लिए निवासी होने का क्या मतलब हैं?**

हर देश में टैक्स के लिए वहाँ के निवासी माने जाने के नियम अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए ये नियम अक्सर इस बात पर निर्भर होते हैं कि वह वहाँ कितने दिन गुज़ारता हैं अथवा क्या उसका घर उस देश में हैं।

- **मुझे यह जानकारी कब देनी होगी?**

आपको अपनी टैक्स संबंधी निवासी होने की जानकारी अपना नया खाता खोलते समय देनी होगी या जब भी बैंक इसके बारे में आपसे पूछे।

- **ऐसा में किस तरह कर सकता/सकती हूँ?**

जब आप अपना खाता खोलते/खोलती हैं तो आपसे आपकी टैक्स संबंधी निवासी होने की जानकारी माँगी जाएगी। यह जानकारी नेटबेंक में, हमें **13 2221** पर फ़ोन करके या हमारी किसी शाखा में जा कर दी जा सकती हैं।

- **टैक्स आइडेंटिफिकेशन (पहचान का) नंबर क्या होता हैं?**

यदि आप टैक्स के मामले में किसी दूसरे देश के निवासी हैं और आपको उस देश में एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (टिन) मिला हुआ हैं तो आपसे वह नंबर माँगा जाएगा।

टिन एक अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली हैं लेकिन विभिन्न देशों में इसके नाम अलग हो सकते हैं।

CAN

आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मेरा खाता पहले से ही खुला हुआ है तो क्या होगा?	यदि हमारे पास पहले से ही आपके टैक्स के मामले में निवासी होने की जानकारी नहीं है तो जब भी आप कोई नया खाता खोलेंगे, आपसे यह जानकारी माँगी जाएगी।
(यदि मैं कॉमबैंक का/की ग्राहक नहीं हूँ तो) जब मैं नया खाता खोलता/खोलती हूँ तो क्या होगा?	जब आप कॉमबैंक के साथ अपना नया खाता खोलते/खोलती हैं तो आपसे आपकी टैक्स संबंधी निवासी होने की जानकारी माँगी जाएगी।
यदि मैं टैक्स के मामले में केवल ऑस्ट्रेलिया का/की निवासी हूँ तो?	आपको तब भी अपनी टैक्स संबंधी निवासी होने की जानकारी की पुष्टि करनी होगी। अपना ऑस्ट्रेलियन टैक्स फाइल नंबर देना आपकी मर्ज़ी पर निर्भर होगा।
मैं एक विदेशी विद्यार्थी हूँ, मुझे क्या करना होगा?	नया खाता खोलते समय सभी ग्राहकों को अपनी टैक्स संबंधी निवासी होने की जानकारी देनी होगी।
यदि मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए?	यदि आपको अपनी टैक्स संबंधी निवासी होने की यकीनी जानकारी नहीं है तो आपको इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। हम अपने ग्राहकों को टैक्स संबंधी सलाह नहीं दे सकते।
जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए क्या करना होगा?	यदि खाता बच्चे के नाम पर है तो उस बच्चे या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को बच्चे की टैक्स संबंधी निवासी होने की जानकारी देनी होगी। नाबालिग होने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होंगे।
यदि मैं (कोई व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि) एक संस्थान हूँ तो क्या मुझे टैक्स के लिए निवासी होने की जानकारी देनी होगी?	आम तौर पर इसका उत्तर हाँ में होगा लेकिन कुछ संस्थानों को इससे छूट दी गई है जैसे कि आर्थिक संस्थान, सरकारी निकाय और अनुसूचित संस्थान।

अपनी टैक्स संबंधी निवासी होने के जानकारी को ताज़ा रखने के लिए

नेटबैंक में लॉग ओन करें, हमें **13 2221** पर फ़ोन करें या हमारी किसी शाखा में आएँ

अधिक जानकारी के लिए:

कृपया ए टी ओ की वेबसाइट **ato.gov.au** पर जाएँ या हमारी वेबसाइट **commbank.com.au** पर जाएँ और sustainable business practices के लिए सर्च करें।

CBA4854 270617